भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 951 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

तमिलनाडु में राष्ट्रीय जलमार्ग

†951. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों, अर्थात् बकिंघम नहर, भवानी नदी, कावेरी नदी (कोल्लीडम खंड सहित), पझयार नदी और पोन्नैयार नदी के विकास का कार्य शुरू किया है और यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तैयार की गई/तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्टों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए अब तक आवंटित तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई और यात्री/पर्यटन सेवाओं को शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने और उक्त राष्ट्रीय जलमार्गों के प्रभावी उपयोग के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ने राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) नामत: बकिंघम नहर (रा.ज.-4 का हिस्सा), भवानी नदी (रा.ज.-20), कावेरी नदी (कोल्लीडम जलखंड सहित) (रा.ज.-55), पझयार नदी (रा.ज.-77) और पोन्नैयार नदी (रा.ज.-80) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है। व्यवहार्यता अध्ययन में, भवानी नदी (रा.ज.-20), कावेरी नदी (कोल्लीडम खंड सहित) (रा.ज.-55), पझयार नदी (रा.ज.-77) और पोन्नैयार नदी (रा.ज.-80) में सीमित पर्यटन विकास संभावना को छोड़कर किसी कार्गो क्षमता की परिकल्पना नहीं की गई है। हालांकि, बकिंघम नहर (रा.ज.-4 का

हिस्सा) में कार्गो और पर्यटन संभावना की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, बकिंघम नहर सहित रा.ज.-4 के लिए डीपीआर के अद्यतनीकरण का कार्य 5.24 करोड़ रुपये की लागत पर प्रदान किया गया है। अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों के मामले में, डीपीआर तैयार नहीं की गई थीं क्योंकि व्यवहार्यता अध्ययन में किसी कार्गो संभावना की परिकल्पना नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ): आईडब्ल्यूएआई ने उपरोक्त राष्ट्रीय जलमार्गों में पर्यटन विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की है और उनकी सिफारिशों के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ साझा की है, जैसा कि अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

"तमिलनाडु में राष्ट्रीय जलमार्ग" के संबंध में माननीय सांसद श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा दिनांक 24.07.2026 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 951 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तमिलनाडु में विकास के लिए नियोजित राष्ट्रीय जलमार्ग:

(क) बकिंघम नहर (रा.ज.-4 का घटक): जेट्टी प्रस्तावित कार्गो / नदी क्रूज़ पर्यटन सर्किट इस प्रकार हैं:

i. महाबलीपुरम से एडियूर सेतु
ii. मरीना बीच के पास बकिंघम नहर का कूम नदी हिस्सा
iii. पुलीकट झील
iv. कार्गो आवाजाही के लिए एन्नोर पत्तन से ईटीपीएस

(ख): भवानी नदी (रा.ज.-20): भवानी-संगमेश्वर मंदिर में नदी क्रूज़ पर्यटन के लिए प्रस्तावित जेट्टी।

(ग): कावेरी नदी - कोल्लीडम (रा.ज.-55): चिदंबरम के पास प्रस्तावित नदी क्रूज़ पर्यटन जेट्टी।

(घ): पझयार नदी (रा.ज.-77): नदी क्रूज़ पर्यटन के लिए कन्याकुमारी के पास जेट्टी प्रस्तावित।

(ङ): पोन्नैयार नदी (रा.ज.-80): नदी क्रूज़ आवागमन के लिए जेट्टी प्रस्तावित।
